

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001



OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

No.Au/Admn.IV/16-3/Vol.V

दिनांक /Date: 06.01.2025

परिपत्र सं. 70 / CIRCULAR No.70

विषय: सभी अधिकारियों व पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों द्वारा राखी गई अचल संपत्तियों का 31.12.2024 तक का विवरण ।

Sub: Statement of immovable properties held by all officers & officials and their dependents as on 31.12.2024.

सभी अधिकारियों एवं पदाधिकारियों को उनके द्वारा 31.12.2024 तक राखी गई अचल संपत्तियों का विवरण सीसीएस (आचरण) नियमों के नियम 18 (i) (ii) के अनुसार संलग्न प्रपत्र में देना आवश्यक है। आश्रितों संबंधी विवरण एक अलग प्रपत्र में दिया जाए। विवरण प्रशासन अनुभाग को 31.01.2025 तक प्रस्तुत करें। अचल संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि “ गत वर्ष समान ” या “ कोई बदलाव नहीं ” जैसे वाक्यांशों का प्रयोग न किया जाए तथा विरासत/ स्वामित्व/ अर्जित या रखी गई अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें। अंतिम तिथि का सख्ती से पालन किया जाए।

सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को वर्ष 2024 का अचल संपत्ति रिटर्न स्पेरो (SPARROW) एप्लीकेशन में भरने के लिए निदेशित किया जाता है। भरे हुए अचल संपत्ति रिटर्न की एक प्रति ऊपर निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अपने संबंधित प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत करनी है।

संपत्ति रिटर्न की गैर प्रस्तुती आचरण नियमों के विरुद्ध है। ऐसे कार्यो को गंभीरता से देखा जाएगा एवं आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अचल संपत्ति का विवरण प्रपत्र कार्यालय इंटरनेट (पब्लिक फ़ोल्डर में) एवं कार्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

All Officers and officials are required to furnish a statement of immovable properties held by them as on 31.12.2024 as required in Rule 18 (i) (ii) of CCS (Conduct) Rules in the form enclosed. The statement in respect of dependents may be furnished in separate form. The statements may be furnished to the Administration Section latest by 31.01.2025. While furnishing Immovable Property Returns, it may be ensured that usage of phrases such as “same as last year” or “no change” are avoided and full particulars of the immovable property inherited/owned/acquired or held are to be furnished. The deadline should be strictly adhered to.

All Senior Audit Officers are directed to file the Immovable Property Return for the year 2024 online in SPARROW application. A copy of the filed immovable property return should be submitted to their administration section concerned within the above specified timeline.

Non-submission of property returns is a violation of Conduct Rules. Such actions will be viewed seriously, and necessary disciplinary action will be initiated.

The form for statement of immovable property is available in office intranet (folder in Public) and office website.

(उ म ले/प्रशा के दिनांक 03.01.2025 के आदेशानुसार)

(vide orders dated 03.01.2025 of DAG/Admn)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)
Senior Audit Officer (Admn.)

प्रतिलिपि/To,

1. सभी शाखा अधिकारीगण /All Branch Officers
2. सभी अनुभाग/ सभी क्षेत्रीय दल /All Sections/All Field Parties
3. सूचना पट्ट /Notice Board.